राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 23428–478 दिनांक : 30.11.23

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक (IRGY),
समस्त राजस्थान।

विषयः–संविदा कार्मिको की सेवा अवधि एवं वार्षिक वेतन वृद्धि बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय निकायों के द्वारा संविदा कार्मिकों की सेवा अवधि एवं वार्षिक वेतन वृद्धि कुछ नगरीय निकायों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है एवं अधिकांश नगरीय निकायों के द्वारा उक्त क्रम में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः उपरोक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है :–

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY) के प्रभावी क्रियांवयन एवं प्रबंधन हेतु एवं राज्य की सभी नगर निगमों / पालिकाओं / परिषदों के स्तर पर नियमित / प्रतिनियुक्ति / सेवानिवृत / संविदा कार्मिकों के लिए वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102201948 दिनांक 02.05.2022 द्वारा विभिन्न पदो के सृजन की दी गई सहमति के पदों तथा संविदा आधार पर कार्मिकों को लिए जाने की सहमति की अवधि दिनांक 31.03.2023 तक प्रभावी थी।

वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102300904 दिनांक 21.03.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में पदों की अभिवृद्धि कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 56(क)()सीई / DLB/IRGY/ 2022–23 / 6651 दिनांक 29.03.2023 द्वारा दिनांक 29.02.2024 तक पूर्व शर्तो के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की गई है। सेवा अवधि एवं वार्षिक वेतन वृद्धि किये जाने के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

(1) **सेवा अवधि वर्ष 2023–24 हेतु बढाये जाने बाबत् :–**

(अ) राज्य स्तर पर नियमित / प्रतिनियुक्ति / सेवानिवृत / संविदा कार्मिकों की नियुक्ति निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत शासन विभाग जयपुर द्वारा प्रदान की गई है। अतः राज्य स्तर पर उक्तानुसार नियुक्त कार्मिकों की सेवा अवधि वृद्धि किये जाने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक / अतिरिक्त निदेशक द्वारा योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की सेवा अवधि वर्ष के दौरान संतोषप्रद होने के आधार पर सेवा अवधि की वृद्धि की जावेगी।

(ब) निकाय स्तर पर संविदा कार्मिकों की नियुक्ति संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रदान की गई है। अतः समस्त नगर निगमों / पालिकाओं / परिषदों के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारियों को वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों के लिए पदों की अभिवृद्धि दिनांक 29.02.2024 के लिए सम्बंधित जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक ''इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना'' को निकायों में कार्यरत संविदा कार्मिको की सेवा अवधि बढ़ाये जाने के क्रम में प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन उपरांत दिनांक 01.04.2023 से 29.02.2024 तक संविदा कार्मिको की सेवा अवधि वर्ष के दौरान संतोषप्रद होने के फलस्वरूप सेवा अवधि की वृद्धि की जावेगी।

इस प्रकार वित्त विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत पदों की अवधि की वृद्धि किये जाने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

(2) वार्षिक वेतन वृद्धि बाबत :–

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ17(4)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर दिनांक 11.01.2022 द्वारा जारी RAJASTHAN CONTRACTUL HIRING CIVIL POST RULES. 2022 के बिन्दु संख्या 13(1) के अनुसार :–

"on completion of satisfactory service of every one year, the monthly lumps-sum remuneration shall be increased by 5% rounded of to next hundred rupees" वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। उक्त क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे :–

(अ) राज्य स्तर पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की वेतन वृद्धि किये जाने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक/अतिरिक्त निदेशक द्वारा नियुक्त संविदा कार्मिकों की सेवा अवधि वर्ष के दौरान उन्हे आवंटित कार्य एवं उत्तरदायित्व के अनुसार किये गये कार्य के संतोषप्रद होने के आधार पर किया जावेगा।

(ब) नगरीय निकाय स्तर पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की वेतन वृद्धि किये जाने हेतु संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा नियुक्त संविदा कार्मिकों की सेवा अवधि वर्ष के दौरान उन्हे आवंटित कार्य एवं उत्तरदायित्व (Duties and function) के अनुसार किये गये कार्य संतोषप्रद होने के आधार पर स्वीकृत किया जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023–24/ 23479-23730 दिनांक : 30.11.23

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सचिव, (भर्ती आयोग), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त, राजस्थान।
7. स्टेट एम.आई.एस मैनेजर को IRGY पोंटल पर अपलोड एवं ई–मेल करने बाबत्।
8. सुरक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार